P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-6* ISSUE-9*(Part-2) May- 2019
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

शिक्षा और भारतीय नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्य

आलोक कटारा
सहायक प्राध्यापक,
शारीरिक शिक्षा विभाग,
शासकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
फतेहाबाद, आगरा,
उ.प्र., भारत

सारांश

भारत एक लोकतान्त्रिक देश है जहाँ नागरिक पूरी स्वतन्त्रता के साथ रहते हैं। नागरिक वही व्यक्ति होते हैं, जो एक देश के किसी गाँव या शहर में एक निवासी के रूप में रहते हैं। हम सभी अपने देश के नागरिक है और अपने गाँव, शहर, समाज, राज्य और देश के लिए बहुत से उत्तरदायित्व रखते हैं। प्रत्येक नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य बहुत ही अमूल्य और एक दूसरे से जुड़े होते हैं। प्रत्येक राज्य या देश अपने देश के निवासियों के लिए कुछ मौलिक नागरिक अधिकार जैसे– समानता का अधिकार, स्वतन्त्रता का अधिकार, निवारक निरोध, शोषण के विरूद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतन्त्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा सम्बन्धी अधिकार आदि रखते हैं।

एक देश का नागरिक होने के नाते हमें अपने अधिकारों के साथ ही नैतिक और कानूनी रूप से साथ ही नैतिक और कानूनी कानूनी रूप से दायित्वों को पूरा करना आवश्यक है। हमें एक दूसरे से प्यार करना चाहिए और एक दूसरे का सम्मान करने के साथ ही बिना किसी भेदभाव के एक साथ रहना चाहिए। अपने देश की रक्षा के लिए, हमें समय–समय पर प्रत्याषित बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए।

मुख्य शब्द : मौलिक अधिकार, कर्तव्य, संविधान, अनुच्छेद, न्यायपालिका, उत्तरदायित्व।

प्रस्तावना

एक समय था जब किसी भी देश की प्रजा राज्य की कृपा पर निर्भर करती थी। तब प्रजा में अपने अधिकारों के प्रति कोई चेतना भी नहीं थी पर जैसे–जैसे राज्य अपनी शक्ति बढ़ाने लगे वैसे–वैसे प्रजा में अपने अधिकारों के प्रति चेतना जाग्रत हुई और वह राज्य से अपने अधिकारों के लिए माँग करने लगी। फ्रांस की 1789 की क्रांति इसी जागरूकता का परिणाम थी। इस क्रांति के फलस्वरूप यूरोप में लोकतन्त्र शासन प्रणाली का विकास हुआ। लोकतन्त्र में राज्य और प्रजा के अधिकार क्षेत्र निश्चित करने की प्रक्रिया शुरू हुई। आज संसार के सभी देशों में राज्य और नागरिकों, दोनों के अधिकार निश्चित किये जाते हैं और इन्हें राज्य के संविधान में स्थान दिया जाता है, नागरिकों के इन अधिकारों को मूल अधिकार कहा जाता है।

इन्हें मूल अधिकार कहने के चार कारण है पहला यह कि इन्हें राज्य के संविधान द्वारा प्रदान किया जाता है। दूसरा यह कि ये व्यक्ति के पूर्ण विकास से सम्बन्धित होते हैं। तीसरा यह कि ये संविधान के अंग होते हैं, साधारण कानून से ऊपर होते हैं, इन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, इन्हें संविधान संषोधन द्वारा ही बदला जा सकता है, और चौथा यह कि सरकार इनकों विरूद्ध कोई कानून नहीं बना सकती, कोई आदेश नही दे सकती और यदि वह ऐसा करती हैं, तो न्यायपालिका उन कानूनों अथवा आदेशों को रद्द कर सकती है।

अध्ययन का उद्देश्य

भारतीय नागरिकों को उनके मूल अधिकार एवं कर्तव्यों के विषय में ज्ञान प्रदान करना।

मूल अधिकारों की परिभाषा एवं अर्थ

विभिन्न विद्वानों ने मूल अधिकारों की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है।

डी0डी0 वसु के अनुसार

मूल अधिकार वह है जिसे राज्य के लिखित संविधान द्वारा सुरक्षित एवं प्रतिभूत बनाया जाता है।

(प्रो0 लस्की)

मूल अधिकार सामाजिक जीवन की वे शर्ते हैं जिनके अभाव में मनुष्य सामान्यतः अपना विकास नहीं कर सकता।

अर्थ

किसी देश के नागरिकों के मूल अधिकारों से तात्पर्य उन अधिकारों में होता है जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान किये जाते हैं और जिनका राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण नहीं किया जा सकता और इनमें से किसी के द्वारा भी अतिक्रमण करने पर न्यायपालिका इनकी रक्षा करती है।

नागरिकों के मूल अधिकारों की आवश्यकता एवं महत्व

सामान्यतः प्रत्येक राज्य अपने पास अधिक से अधिक शक्ति रखना चाहता है और दूसरी तरफ प्रत्येक नागरिक अपने लिए अधिक से अधिक स्वतन्त्रता चाहता है। यही कारण है कि राज्य और व्यक्ति के बीच सदैव संघर्ष रहता है। इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए अब संविधान में नागरिकों के मूल अधिकार स्पष्ट कर दिए जाते है। इसमें एक ओर राज्य की शक्ति नियमित होती है और दूसरी ओर नागरिकों की स्वतंत्रता नियन्त्रित होती है और राज्य एवं व्यक्ति के बीच सामंजस्य स्थापित होता है और जब कभी राज्य अथवा व्यक्ति द्वारा इनका अतिक्रमण होता है तो प्रभावित पक्ष न्यायपालिका की सहायता ले सकता है। इस प्रकार राज्य और शक्ति के बीच का संघर्ष सड़कों पर नही उतरता, उसका निपटारा न्यायालयों द्वारा होता है।

आज हमारे देश में सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने समस्त नागरिकों को उनके मूल अधिकारों का स्पष्ट ज्ञान कराएँ और साथ ही उनकी रक्षा के उपायों के विषय में जानकारी है।

भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार

भारतीय संविधान में प्रारम्भ में नागरिकों को 7 मूल अधिकार संविधान दिए गये थे परन्तु 1979 में 44वें संविधान संषोधन द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकारों को मूल अधिकारों की सूची से निकालकर उसे कानूनी अधिकारों की सूची में सम्मिलित कर दिया गया। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित 6 मूल अधिकार प्राप्त हैः–

समानता का अधिकार

अनुच्छेद 14 से 18 तक में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है– कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता, सरकारी पदों की प्राप्ति के लिए अवसरों की समानता, अस्पृष्यता का अन्त और ब्रिटिश काल में दी जाने वाली उपाधियों की समाप्ति।

स्वतन्त्रता का अधिकार

अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतन्त्रता के अधिकार की व्याख्या की गई है। भारतीय नागरिकों को विचार अभिव्यक्त करने सभा करने, संघ बनाने, भ्रमण करने, देश के किसी भी भाग में अपना निवास स्थान बनाने और अपने जीवन–यापन करने के लिए व्यवसाय के चयन की स्वतन्त्रता प्राप्त है।

निवारक निरोध

निवारक निरोध का अर्थ है व्यक्ति को किसी अपराध करने की शंका में अपराध करने से पूर्व, बिना किसी न्यायिक प्रक्रिया के बन्दी बनाना। निवारक निरोध के अर्न्तगत व्यक्ति को अपराध से रोकने के लिए केवल बन्दी बनाया जा सकता है, उसे कोई दण्ड नहीं दिया जा सकता।

शोषण के विरूद्ध अधिकार

धारा 23 में मनुष्य के क्रय–विक्रय तथा बेगार प्रथा पर प्रतिबन्ध लगाया गया है और बन्धुआ मजदूर रखना दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है। धारा 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को मजदूरी में लगाने पर रोक की गई है।

धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है इसलिए इसके संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता की व्याख्या अलग–2 से की गई है। भारतीय नागरिकोंको अपने–अपने धर्म मानने अपने–अपने ढंग से उपासना करने, धर्म संघ बनाने और धर्म प्रचार करने की स्वत्रंतता है परन्तु जबरन किसी का धर्म–परिवर्तन करने की स्वंत्रता है साथ ही ऐसे धार्मिक कार्यों पर रोक है जिनसे अन्य धर्मों की स्वतन्त्रता में बाधा आए अथवा सार्वजनिक व्यवस्था भंग हो। सरकारी स्कूलों में किसी धर्म विषेष की शिक्षा दिए जाने पर भी प्रतिबन्ध है और साथ ही सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों पर यह प्रतिबन्ध है कि वे किसी को जबरन धर्म की शिक्षा नही देंगे।

संस्कृति तथा शिक्षा सम्न्धी अधिकार

संविधान के अनुच्छेद 29 में सभी नागरिकों को अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने और उसका प्रसार करने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थाएँ स्थापित करने एवं उनका संचालन करने का अधिकार दिया गया है और उन्हें यह आष्वासन दिया गया है कि ऐसी शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में राज्य कोई भेदभाव नहीं बरतेगा।

विषेष

नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा के लिए संविधान के अनुच्देद 32 में कुछ उपचारों की व्यवस्था की गई है। यदि किसी नागरिक के मूल अधिकारों पर आघात होता है तो वह अपने राज्य के उच्च न्यायालय अथवा देश के सर्वोच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इन न्यायालयों को नागरिकों के मूल अधिकरों की रक्षा के लिए अनेक अधिकार दिए गये हैं।

मूल कर्तव्यों का अर्थ, एवं परिभाषा

राज्य के अधिकार क्षत्र और नागरिकों के मूल अधिकारों को निश्चित करने के साथ–साथ राज्य के कर्तव्य क्षेत्र और नागरिकों के मूल कर्तव्य निश्चित करने की प्रक्रिष्स भी शुरू हुई। आज यह कार्य संसार के सभी देशों में किया जाता है और इन्हें राज्य के संविधान में स्थान दिया जाता है। संविधान द्वारा घोषित नागरिकों के इन कर्तव्यों को ही नागरिकों के मूल कर्तव्य कहा जाता है।

इन्हें मूल कर्तव्य कहने को चार कारण है। पहला यह कि इन्हें देश के संविधान द्वारा निर्धारित किया जाता है। दूसरा यह कि इनके पालन में व्यक्ति एवं राज्य दोनों का हित होता है, दोनों विकास करते हैं। तीसरा यह कि ये संविधान के अंग होते हैं, इनका पालन करना प्रत्येक नागरिक के लिए अनिवार्यत होता है और चौथा यह कि इनका पालन न करने वालों को कानूनी रू‍प से दण्ड दिया जा सकता है।

परिभाषा

किसी देश के नागरिकों के मूल कर्तव्यों से तात्पर्य उन कर्तव्यों में होता है जिन्हें संविधान द्वारा निश्चित एवं स्पष्ट किया जाता है और जिनका पालन न करने पर नागरिकों को न्यायपालिका द्वारा दण्ड दिया जा सकता है।

नागरिकों के मूल कर्तव्यों की आवश्यकता एवं महत्व

अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। यदि नागरिक राज्य से मूल अधिकार चाहते हैं तो राज्य नागरिकों से ऐसे कर्तव्यों के पालन की अपेक्षा करता है जिनसे उनका और पूरे राज्य का हित होता है विकास होता है। मूल कर्तव्यों में सामान्यतः उन कर्तव्यों का सम्मिलित किया जाता है जिनसे व्यक्ति के हित के साथ–साथ समष्टि का हित होता है अर्थात् व्यक्ति, समाज और राष्ट्रीय एकता और राष्ट्र की अखण्डता का भाव भी छिपा होता है। इनके पालन से राष्ट्रीय एकता का विकास होता है और राष्ट्र की अखण्डता सुरक्षित रहती है। इसलिए प्रत्येक राज्य को इनकी आवश्यकता होती है वह इन्हें निश्चित करता हैं। परन्तु आज हमारे देश के नागरिक अपने मूल कर्तव्य नहीं जानते हैं और यदि जानते भी हैं इनका ज्ञान कराने एवं उन्हें इनका पालन करने की ओर उन्मुख करने की आवश्यकता है।

भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य

भारतीय संविधान में प्रारम्भ में नागरिकों के केवल मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई थी, उनके मूल कर्तव्य निश्चित नहीं किये गये थे। 1976 में 42 वें संविधान संषोधन द्वारा नागरिकों के 10 मूल कर्तव्य भी निश्चित किये गये। संविधान के भाग 4 अ, अनुच्छेद 51 अ के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह–

1. संविधान का पालन करें और उसके आदर्षो, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें।
2. राष्ट्रीय आन्दोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को ह्रदय में संजाए रखे और उनका पालन करें।
3. भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता की रक्षा करें और उसे बनाये रखे।
4. देश की रक्षा करें और आह्रवान किये जाने पर राष्ट्र की सेवा करें।
5. धर्म, भाषा, क्षेत्र अथवा वर्ग की संकीर्ण भावना से ऊपर उढ़कर भारत के सभी लागों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरूद्ध हों।
6. हमारी समन्वित संस्कृति की गौरवशाली परम्परा का महत्व समझे और उसकी रक्षा करें।
7. प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अर्न्तगत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उसका संवर्धन करे तथा प्रणिमात्र के प्रति दयाभाव रखें।
8. वैज्ञानिक तथा मावनतावादी दृष्टिकोण अपनाकर सुधार की भावना का विकास करें।
9. सार्वजनिक सम्पत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहें।
10. व्यक्तिगत और सामूहिक प्रयत्नों से निरन्तर सभी क्षेत्रों से उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत् प्रयास करें, जिससे राष्ट्र उपलब्धि की नई ऊँचाइयों को छू सके।
11. शिक्षा और भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार एवं कर्तव्य

आज हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या यह है कि अधिकार नागरिक अपने मूल अधिकार एवं कर्तव्यों को उनके सही रूप में नहीं जानते। समानता के मूल अधिकार के नाम पर बिना वांछित योग्यता प्राप्त किये ऊँचे पदों पर आसीन होना चाहते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के नाम पर संसद तक में शोर–शराबा करते हैं, अध्यक्ष के आसन तक पहुँच जाते हैं और संसद की कार्यवाही नहीं चलने देते। निवारक निरोध के अधिकार के नाम पर आये दिन जेल भर दी जाती हैं। शोषण के विरूद्ध अधिकार का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता के नाम पर धर्म परिवर्तन की घटनाएँ भी खूब घट रही हैं, मूल कर्तव्यों के पालन की बात तो आज कोई सोचता ही नहीं है। संसद में बैठ लोग ही संविधान का पालन नहीं करते। कुछ तो राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर नहीं करते। धर्म, भाषा क्षेत्र अथवा वर्ग की संकीर्ण भावनाओं से ऊपर उठना तो दूर की बात है, ये तो इसी वर्ग भेद को बढ़ावा देकर चुनाव जीतते हैं। ये वहाँ पहुँचकर राष्ट्रहित के स्थान पर अपने और अपनों से सम्बन्धित व्यक्तियों के हित तक सीमित हो जाते हैं। देश के बड़े–बड़े अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर इन लोगों ने बुरे कार्यो के सारे रिकार्ड तोड़ दिए हैं। तब साधारण जनता की बात कौन करें।

अतः आज आवश्यकता है कि शिक्षा द्वारा बच्चों युवकों और प्रौढ़ों सभी को उनके मूल अधिकारों एवं कर्तव्यों का स्पष्ट ज्ञान कराया जाए और साथ ही उन्हें मूल अधिकारों उचित प्रयोग और मूल कर्तव्यों के सही पालन की ओर उन्मुख किया जाये। इस कार्य को हमें शुरू से ही करना होता। वहाँ तक मूल अधिकारों और मूल कर्तव्यों के स्पष्ट गाान की बात है यह तो माध्यमिक स्तर पर ही किया जा सकता है। हमारी दृष्टि से इस प्रकरण को सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिएऔर इस सावधानी के साथ कि पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए और इस सावधानी के साथ कि पाठ्यक्रम में जोड़ा जाना चाहिए और इस सावधानी के साथ कि पाठ्यक्रम का बोझ न बढ़े।

पर इन मूल अधिकारों के उचित प्रयोग और मूल कर्तव्यों के उचित पालन की ओर तो बच्चों को प्रारंभ से ही मोड़ने का प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए विद्यालयों और शिक्षकों को निम्नलिखित कार्य करने चाहिए।

1. सभी विद्यालयों में सभी बच्चों को जाति, धर्म, क्षेत्र आदि किसी भी आधार पर भेदभाव किये बिना प्रवेष का अधिकार हो, पर योग्यता के बन्धन के साथ।
2. विद्यालयों में सभी बच्चों को अपने विचार अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता हो पर इस बन्धन के साथ कि उससे अन्य किसी को ठेस न पहुँचे, सार्वजनिक हानि न हो।
3. बच्चों को विद्यालयों के धर्म सम्बन्धी कार्यक्रमों में भाग लेने या न लेने की स्वतंत्रता हो पर सब धर्मों के बारे में वे जाने, यह आवश्यक हो।

4. शिक्षक देखें कि बच्चे विद्यालय के बाहर भी अपने अधिकारों का सही प्रयोग करते हैं।
5. बच्चों को मूल अधिकारों के उचित प्रयोग के साथ–साथ उन्हें मूल कर्तव्यों के पालन की ओर भी उन्मुख किया जाये। अधिकार और कर्तव्य एक साथ ही जी सकते है। यह तभी संभव है जब शिक्षक भी ऐसा करें।
6. सभी बच्चे राष्ट्रगान के समय उपस्थित रहें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें और राष्ट्रगान गाएँ। यह तभी सम्भव है जब शिक्षक भी ऐसा करें।
7. सभी बच्चे एक–दूसरे का सम्मान करें। यह भी तभी सम्भव है जब शिक्षक भी ऐसा आचरण करें।
8. छात्र और अध्यापक सभी विद्यालयों के प्राकृतिक पर्यावरण और विद्यालयों की प्रत्येक वस्तु की रक्षा करें। विद्यालय के बाहर भी उनका आचरण ऐसा ही हो, यह आवश्यक है।
9. विद्यालयों में सभी छात्र और अध्यापक एक जुट होकर श्रमदान करें, विद्यालय भवन आदि के रख–रखाव में हाथ बटाएँ।
10. सभी छात्र एवं अध्यापक स्वार्थ की संकीर्ण भावना को त्यागकर समाज सेवा एवं राष्ट्रोध्यान के कार्यों में हाथ बटाएँ।
11. विद्यालय में किसी भी स्तर पर, किसी भी स्थिति में छात्रों का किसी भी प्रकार का शोषण नहीं किया जाए।

निष्कर्ष

सत्यता यह है कि इस समय देश में कोई भी न अपने मूल अधिकारों का सही प्रयोग कर रहा है और न अपने मूल कर्तव्यों का सही ढंग से लापन कर रहा है। केवल कुछ प्रतिशत व्यक्तियों को छोड़कर।

हम एक सामाजिक प्राणी हैं समाज और देश में विकास, समृद्धि और शक्ति लाने के लिए हमारी बहुत सी जिम्मेदारियाँ है। देश का अच्छा नागरिक होने के रूप में, हमें समाज और देश के कल्याण के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने व सीखने की आवश्यकता हैं । हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम में से सभी समाज की अच्छी और बुरी स्थिति के जिम्मेदारी हैं। समाज और देश में कुछ सकारात्मक प्रभातों को जाने के लिए हमें अपनी सोच को कार्य रूप में बदलने का आवश्यकता है। यदि वैयक्तिक कार्यो के द्वारा जीवन को बदला जा सकता है, तो फिर समाज में किये गये सामूहिक प्रयास देश व पूरे समाज में सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं ला सकते हैं। इसलिए समाज और पूरे देश की समृद्धि और शान्ति के लिए नागरिकों के कर्तव्य बहुत अधिक मायने रखते है।

सन्दर्भ ग्रंथ सूची

शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, लेखक–रमन बिहारी लाल, रस्तोगी पब्लिकेशन, गंगोत्री शिवाजी रोड मेरठ।

शिक्षा के दार्शनिक सामाजिक आधार, लेखक–डॉ0 पूनम मदान, अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा, संस्करण–2012–13

उदीयमान भारतीय समाज के शिक्षक, लेखक डॉ0 गिरीश पचौरी, लायक बुक डिपो, मेरठ

शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय पृष्ठभूमि लेखक डॉ0 रामशकल पाण्डेय, विनोद पुस्तक मन्दिर

शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार, लेखक– डॉ0 सरोज सक्सैना, साहित्य प्रकाशन, आगरा। संस्करण–2011–12

शिक्षा के समाजशास्त्रीय आधार एवं दार्शनिक, लेखक – डॉ0 के.के. यादव, राधा प्रकाशन मंदिर, आगरा संस्करण–2011–2012